फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

ख्या :- ५३५ /2024

परशुराम बनाम भौरीलाल

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.11.2024	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री भगवान सहाय यादव हाजिर/प्रार्थी अधिवक्ता ने मामले की अर्जेन्ट प्रकृति बताते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों को आवेदन की सूचना दिए बिना तत्काल व्यादेश जारी किया जावें अन्यथा व्यादेश देने का उददेश्य विलम्ब द्वारा निष्फल हो जाएगा। प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते यह कि प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश हुआ है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में अंकित विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः बिना गुणावगुण पर विचार किए प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को संरक्षित करने एवं वाद बहुलता को रोकन के लिए प्रार्थीगणों को सूचना दिए बिना प्रार्थना पत्र के चरण संख्या (2) में अंकित विवादित भूमि के खसरा नंबर 2708, 2709, 2710, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723 कुल किता 08 कुल रकबा 1.91 है0 वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली पटवार हल्का सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण पर **आगामी तारीख तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।** प्रार्थी अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि इस व्यायदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रति आवेदन के साथ में फाइल किए गए शपथ पत्र की प्रति, उन दस्तावेजों की प्रतियॉ जिन पर आवेदन निर्भर करता है, जरिये रजि. डाक सम्मन के साथ अप्रार्थीगणों को आज ही भिजवायें। सम्मन जारी होकर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दिये जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता यह कथन करने वाला शपथ पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करे कि उपर्युक्त प्रतियां इस प्रकार अप्रार्थीगणों को भेज दी गई है। उपर्युक्त शपथ पत्र पेश करने में विफल रहने पर यह व्यायादेश स्वतः निष्फल माना जावेगा। यह व्यायादेश अप्रार्थीगणों को कृषि उपयोग हेतु बैक ऋण, विद्युत कनेक्शन/पम्पसेट/सौलर पैनल आदि लगाने हेतु नहीं रोकेगा। वास्ते इन्तजार तलवी एवं पेश होने शपथ पत्र दिनांक 18.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) उपखण्ड चाकसू (जयपुर)	
18/11/24	पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहब/कार्य कन्डोलेवस भगवान सहाय जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो।	